

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 96] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 27, 1978/चैत्र 6, 1900
No. 96] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 27, 1978/CHAITRA 6, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 1978

सीमा-शुल्क

सा. क. नि. 103(अ).—केंद्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1932 (1982 का 52) की धारा 15 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के अनुसरण में, भारत सरकार के राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 29-सीमाशुल्क [सा. क. नि. सं. 72(अ)] तारीख 9 फरवरी, 1978 द्वारा यथा संशोधित अधिसूचना सं. 1 सीमाशुल्क [सा. क. नि. सं. 1(अ)], तारीख 1 जनवरी, 1978 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के नीचे की अनुसूची में,—

क्रम सं. 8 और उससे सम्बंध प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
8	फ्रांस के फ्रैंक	54.70

[सं. 74-सी.शु./फा. सं. 503/1/78-सी.शु.-6]

ए. बॉर्डिया, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 1978

CUSTOMS

G.S.R. 193(E).—In pursuance of clause (a) of sub-section (3) of Section 15 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Department of Revenue No. I-Cus. [G.S.R. No. 1(E)] dated the 1st January, 1978, as amended by Notification No. 29-Cus. [G.S.R. No. 72(F)] dated the 9th February, 1978, namely :—

In the Schedule below the said notification,—

For Serial No. 8 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)
8	French Francs	54.70

[No. 74 Cus /F. No. 503/1/78-Cus. VI]

A. BORDIA, Under Secy.